BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 1308 of 2024

Bijender Kumar …Applicant

Versus

Uttarakhand Pollution Control Board & Ors. …Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Additional Affidavit on behalf of Respondent No. 3	1 - 5
2.	**Annexure 1** – Copy of letter dated 14.05.2026 sent by Respondent No. 5.	6
3.	**Annexure 2** - Copy of the flood demarcation conducted in the year 2016.	7
4.	**Annexure 3** - Copy of the flood demarcation conducted in the year 2025.	8
5.	**Annexure 4** - Copy of office order dated 29.10.2024 issued by the Department of Mining and Geology, State of Uttarakhand.	9 - 10
6.	**Annexure 5(Colly.)** - Copies of letters issued on dated 24.03.2026 and 11.05.2026 by Respondent No. 5 to Respondent No. 2	11 - 12

THROUGH COUNSEL

ADARSH CHAMOLI
Counsel For Respondent No. 3
5, Lawyers' Chamber Block – I,
Delhi High Court, New Delhi
Mob: 8375955697
Email Id: adarshchamoli93@gmail.com

PLACE: NEW DELHI
DATE: 15.05.2026

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1308 of 2024

<u>IN THE MATTER OF</u>:

Bijender Kumar ...Applicant

Versus

Uttarakhand Pollution Control Board & Ors. ...Respondents

S.No. 160
15/05/2026

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3

NOTARIAL
NOTARY
SURENDRA KUMAR
ADVOCATE
HARDWAR (INDIA)
No. 02(05)/2001
GOVT. OF UTTARAKHAND
NOTARIAL

Affidavit of Mayur Dixit S/o Sh. Umesh Chandra Dixit, presently posted as District Magistrate, Haridwar, Uttarakhand.

I, the above-named deponent, do hereby solemnly affirm and State:

1. That the deponent is presently posted as District Magistrate, Haridwar, Uttarakhand.

2. That during the course of hearing held on 09.02.2026, the counsel for Respondent No. 3 has sought time to file the flood plain demarcation of the area wherein the Respondent No. 2's (Project Proponent) ready mix plant is situated, and the same was granted by this Hon'ble Tribunal vide its order dated 09.02.2026. The present affidavit is being filed in compliance of said direction of this Hon'ble Tribunal.

3. That Respondent No. 3 has sought the information regarding the flood plain demarcation from Respondent No. 5 and has received the geographical demarcation of the flood plain of the area where Respondent No. 2's ready mix-plant is situated. It is being clarified that Respondent No. 5 has issued letter dated 14.05.2026 sharing the flood demarcation maps. It is being clarified that the flood demarcation was initially done by National Institute of Hydrology, Roorkee in the year 2016 under the 10-meter contour line, and according to such demarcation, the ready-mix plant was outside the 1:25 year flood frequency line. Subsequently, based on this Hon'ble Tribunal's directions passed in the matter of Neeraj Chachhar and Ors. vs. State of Uttarakhand and Ors. bearing O.A. No. 102/2023 vide its order dated 16.04.2025, the Hydraulic Science Division, Irrigation Department, Bahadrabad, Haridwar conducted the survey under the 1-meter contour line in the year 2025-2026 and based on the same, the ready-mix plant of Respondent No. 2 now falls under the 1:25 year

NOTARY SURENDRA KUMAR ADVOCATE HARDWAR (INDIA) No. 02(05)/2001 GOVT. OF UTTARAKHAND

flood frequency. The copy of the letter dated 14.05.2026 is annexed as **Annexure 1**. Copy of the flood demarcation conducted in the year 2016 is annexed as **Annexure 2**. Copy of the flood demarcation conducted in the year 2025-26 is annexed as **Annexure 3**.

4. It is submitted that permission granted to Respondent No. 2 is temporary and is for a specific-purpose only after which the area shall be vacated by Respondent No. 2. It is further submitted that, at the time when necessary permission were granted to Respondent No. 2, the term "active flood plain zone" was not defined under the then prevailing Ministry of Water Resources, River Development, and Ganga Rejuvenation Notification Dated 07.10.2016. It was only in July 2025 that the Central Water Commission issued "Technical Guidelines on Flood Plain Zoning" which classified the "active flood plain zones".

5. It is further submitted that the due permissions granted to Respondent No. 2 has been done based on the norms and rules that were prevalent during the relevant period. It is to state that the Department of Geology & Mining, Uttarakhand has granted permission for operation of ready mix plant of 95 Tonns/Hr. capacity to Respondent No. 2 for the period of two year or project duration, whichever is less vide office order dated 29.10.2024. Copy of office order dated 29.10.2024 is annexed as **Annexure 4**.

NOTARY
SURENDRA KUMAR
ADVOCATE
HARDWAR (INDIA)
No. 02(05)/2001
GOVT. OF UTTARAKHAND

6. It is to mention that in view of necessary preparation for upcoming *Ardh Kumbh Mela - 2027*, the Respondent No. 5, i.e. Executive Engineer, Irrigation Division, Haridwar has already issued evacuation notices to M/S Ircon International Ltd. i.e. Respondent No. 2 vide its letters dated 24.03.2026 and 11.05.2026. Copies of letters issued on dated 24.03.2026 and 11.05.2026 by Respondent No. 5 to Respondent No. 2 are annexed as **Annexure 5 (Colly.)**.

7. It is respectfully submitted that permission for establishment of ready mix plant and camp/casting yard at Bairagi Camp, Haridwar was granted by Department of Geology and Mining, Uttarakhand particularly for the purpose of upgradation and four laning of Haridwar Ring Road Package-1 project, which is to be completed before 2027.

8. That the contents of the Affidavit have been prepared by the counsel under the instructions of the deponent and the same are true and correct and nothing material and has been concealed therefrom.

9. That the deponent undertakes to comply with any further directions that this Hon'ble Tribunal may pass in the present matter.

NOTARY
SURENDRA KUMAR
ADVOCATE
HARDWAR (INDIA)
No. 02(05)/2001
GOVT. OF UTTARAKHAND

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Haridwar, Uttarakhand on 15 day of May 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
SURENDRA KUMAR
ADVOCATE
HARDWAR (INDIA)
No. 02(05)/2001
GOVT. OF UTTARAKHAND

ATTESTED
15/05/2026
SURENDRA KUMAR
NOTARY, ADVOCATE
DISTT. COURT, HARDWAR

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड मायापुर, हरिद्वार–249401
(ई–मेल–idharidwar@gmail.com)

पत्रांक – 1366 / सिं0ख0ह0 / कोर्ट केस / एन0जी0टी0 दिनांक–14.05.2026

सेवा में,

जिलाधिकारी
हरिद्वार।

विषय – मा0 एन0जी0टी0 में ओरिजनल एप्लीकेशन नं0-1308/2024 श्री बिजेन्द्र कुमार बनाम उत्तराखंड प्रदुषण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्र सं0–787 / एल0बी0ए0 / 2026–27 दिनांक 13.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 के अनुपालन में वांछित आख्या / Action Taken Report Respondent No-5 से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः दिये गये निर्देशों के अनुपालन में Respondent No-5 की ओर से वांछित आख्या निम्नानुसार प्रेषित है :–

उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है। मै0 इरकान इण्टरनेशनल लि0 को बैरागी कैम्प में कैम्प / कास्टिंग यार्ड एवं कंन्क्रीट मिक्सिंग प्लान्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु निर्गत भू–भाग 1:25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति क्षेत्र से बाहर है तथा 1:100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति क्षेत्र के अन्तर्गत है। वर्ष 2016 में एन0आई0एच0 द्वारा 10 मी0 कन्टूर रेखा के अन्तर्गत किये गये सर्वे में चयनित स्थल 1:25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा के बाहर दर्शाया गया है (संलग्नक–01)। मा0 एन0जी0टी0 में योजित वाद सं0–102 / 2023 नीरज छाछर एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य में दिनांक 16.04.2025 को निर्गत आदेशों के क्रम मे वर्ष 2025–26 में जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद हरिद्वार द्वारा 1 मी0 कन्टूर रेखा के अन्तर्गत किये गये सर्वे में चयनित स्थल 1:25 वर्षीय आवृत्ति क्षेत्र के अन्तर्गत दर्शाया गया है (संलग्नक–02)। मै0 इरकान इण्टरनेशनल लि0 को बैरागी कैम्प में कैम्प / कास्टिंग यार्ड एवं कंन्क्रीट मिक्सिंग प्लान्ट को हटाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1330 / सिं0ख0ह0 / दिनांक 11.05.2026 द्वारा निर्देशित किया गया है (संलग्नक–03)।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

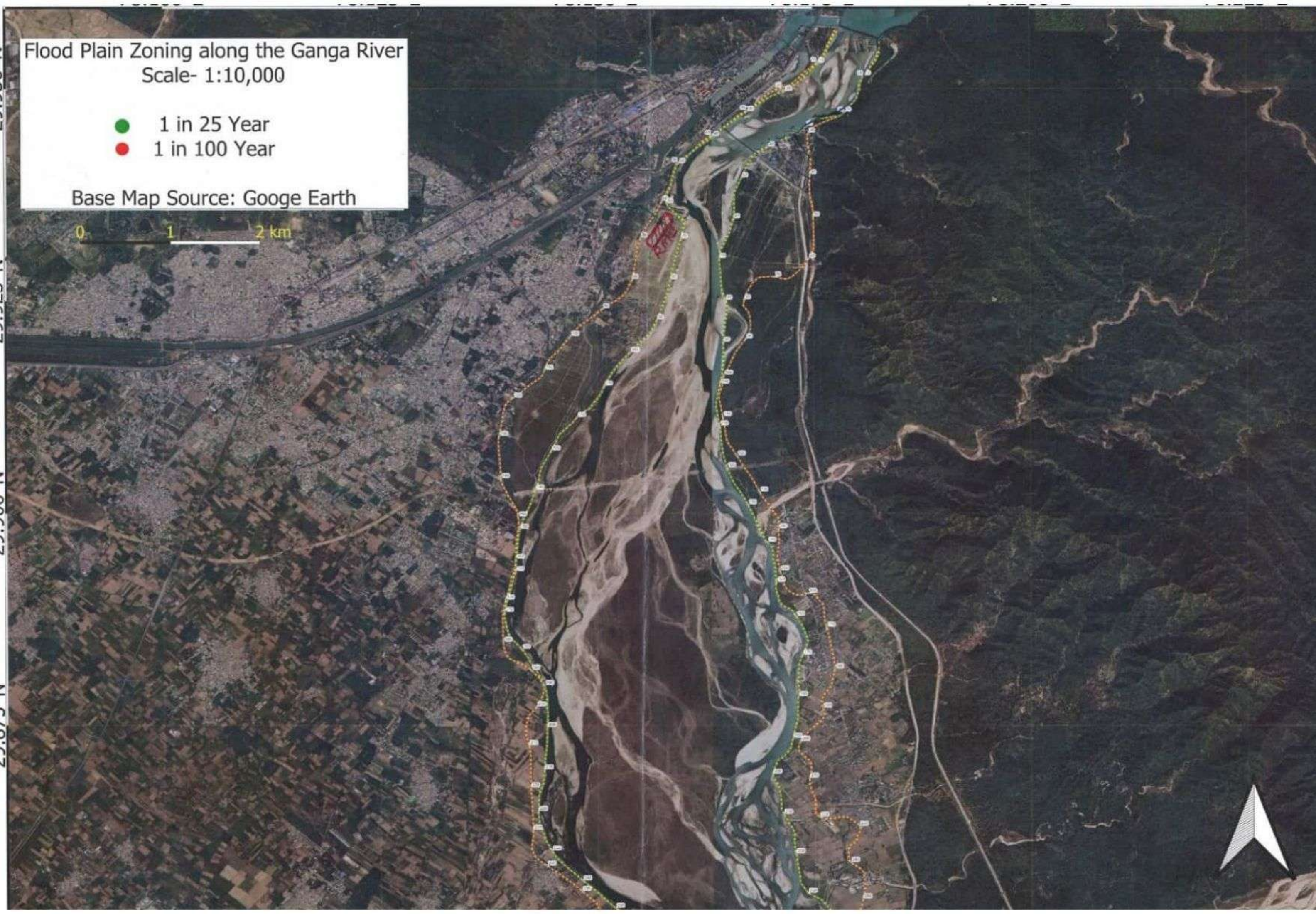
Flood Plain Zoning along the Ganga River
Scale- 1:10,000
1 in 25 Year
1 in 100 Year
Base Map Source: Googe Earth
0
1
2 km

Annexure 3

Demarcation
Legend
100 Year Flood Line
25 Year Flood line
Bairaagi Camp (Kumbh Mela)
Demarcation Pillars
Ready Mix Plant 29°55'59.49"N, 78° 9'25.90"E
Ready Mix Plant 29°55'59.49"N, 78° 9'25.90"E
Google Earth
1 km
N

संयुक्त निदेशक, गढ़वाल मण्डल,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
कार्यालय जनपद गढ़वाल।

संख्या : /सं0नि0ग0म0/खनन/भू0खनि0नि0/2024–25, दिनांक 29 अक्टूबर 2024

कार्यालय ज्ञाप

मैसर्स इरकॉन इन्टरनेशनल लि0 हरिद्वार बाईपास परियोजना 14, प्रथम तल विवेकानन्द, एलक्लेव, जगजीतपुर, हरिद्वार के द्वारा जनपद हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत बैरागी कैम्प कनखल हरिद्वार मे 95 टन प्रति घंटा क्षमता के रेडिमिक्स प्लांट तथा प्लांट परिसर मे कुल 2,20,000 टन उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर खान निरीक्षक/प्रभारी जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद हरिद्वार के पत्र संख्या 1077/भू0खनि0वि0–हरि0/रेडि0प्लां0–अनु0/2024–25, दिनांक 22 अक्टूबर 2024 के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या तथा शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 09 अक्टूबर 2024 की जॉच के क्रम मे प्रभारी जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद हरिद्वार के पत्र संख्या 1122/भू0खनि0वि0–हरि0/रेडि0प्लां0–अनु0/2024–25, दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के आधार पर उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति 2024 के बिन्दु संख्या 28 मे दिये गये प्रावधानानुसार राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के दृष्टिगत प्लांट स्वामी को जनपद हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत बैरागी कैम्प कनखल हरिद्वार मे पूर्व से स्वीकृत 95 टन प्रति घंटा क्षमता के रेडिमिक्स प्लांट तथा प्लांट परिसर मे एक समय मे कुल 2,20,000 टन उपखनिज भण्डारण ने नवीनीकरण की अनुज्ञा की अनुमति 02 वर्ष अथवा परियोजना निर्माण अवधि, जो भी न्यून हो, तक की अवधि हेतु सुसंगत नियमों का पालन करने की शर्त के साथ–साथ निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

शर्तेः–

1. प्लान्ट स्वामी को प्लान्ट में उत्पादित/विक्रय किये गये उपखनिज की मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखा शीर्षक मे अग्रिम रूप से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
2. रेडिमिक्स प्लांट की स्थापना हेतु प्लान्ट स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख यदि भ्रामक/त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा भ्रामक/त्रुटिपूर्ण अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा में प्लांट की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. प्लान्ट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2021 व उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति 2024 में उल्लिखित निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना होगा।
4. प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लान्ट के संचालन से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
5. प्लान्ट स्वामी को अनुज्ञा नवीनीकरण के उपरान्त विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर अपडेशन कराया जाना अनिवार्य होगा, यदि प्लान्ट स्वामी द्वारा ई–रवन्ना पोर्टल पर अपडेशन किये बिना रेडिमिक्स प्लान्ट संचालित किया जाता है तो उक्त दशा में संयत्र स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये संयत्र स्वामी स्वयं जिम्मेदार होगा।

6. प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लांट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु अधिनियम 1981, जल अधिनियम 1974, एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियमों में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगें।
7. प्लान्ट स्वामी को रेडिमिक्स प्लान्ट से धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractor) या धूल के कणों एवं धुएं को हवा में उड़ने की विधि का प्रभावी उपयोग उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।
8. प्लान्ट स्वामी द्वारा भण्डारण स्थल के परिसर में सी0सी0टी0वी0 कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक्स तोल मशीन स्वयं के व्यय से अनिवार्य रूप से स्थापित करेगा।
9. प्लान्ट स्वामी द्वारा अवैध ई–रवन्ना पर क्रय–विक्रय व परिवहन किये जाने पर सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम–2000 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
10. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
11. उक्त रेडिमिक्स प्लांट के नवीनीकरण की अनुमति इस उपबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि भविष्य मे उक्त भूमि की आवश्यकता किसी सरकारी विभाग को पड़ती है तो उक्त दशा मे रेडिमिक्स प्लांट को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना होगा एवं उक्त भूमि पर प्रदान की गयी रेडिमिक्स प्लांट की नवीनीकरण अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
12. प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

(जी0डी0 प्रसाद)
संयुक्त निदेशक,
गढ़वाल मण्डल।

संख्या : 05 /सं0नि0ग0म0/खनन/भू0खनि0नि0/2024–25, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की।
6. प्रभारी जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद हरिद्वार।
7. मैसर्स इरकॉन इन्टरनेशनल लि0 हरिद्वार बाईपास परियोजना 14, प्रथम तल विवेकानन्द, एलक्लेव, जगजीतपुर, हरिद्वार।

(जी0डी0 प्रसाद)
संयुक्त निदेशक,
गढ़वाल मण्डल।

द्वेषभाव रहित

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड मायापुर, हरिद्वार–249401
(ई–मेल–idharidwar@gmail.com)

पत्रांक – / सिं0ख0ह0/ दिनांक : 11/05/2026

मैसर्स इरकान इण्टरनेशनल लि0
हरिद्वार।

विषय – राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुबन्धित फर्म **Line Departments** की विभागीय नियम/शर्तो के अन्तर्गत कैम्प/कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु बैरागी कैम्प में स्थित दी गयी 50000 वर्ग मी0 भूमि के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– इस कार्यालय का पत्र सं0–889/सिं0ख0ह0 दिनांक 24.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में सूचनीय है कि आपको इस कार्यालय का पत्र सं0–2088/सिं0ख0ह0/अनुमति दिनांक 28.06.2025 द्वारा दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2026 तक एक वर्ष हेतु कैम्प/कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में आगामी कुम्भ मेला–2027 के आयोजन की तैयारियां गतिमान है। कुम्भ मेला के आयोजन हेतु तैयारियों के दृष्टिगत अस्थायी कार्य जैसे भू–समतलीकरण, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था आदि कार्य प्रारम्भ किये जाने हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्रातिशीघ्र बैरागी कैम्प स्थित बिना बन्दोबस्ती भूमि को खाली करते हुये प्रतिदिन खाली की गयी भूमि के सम्बन्ध में इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

/

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

पत्रांक – 1330 /सिं0ख0ह0/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. मेलाधिकारी, कुम्भ मेला–2027 हरिद्वार।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल हरिद्वार।
3. जिलाधिकारी हरिद्वार।
4. उपराजस्व अधिकारी, सिंचाई खण्ड हरिद्वार।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

22/DRO/Divison3/260

द्वेषभाव रहित

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड मायापुर, हरिद्वार–249401
(ई–मेल–idharidwar@gmail.com)

पत्रांक - 889 / सिं0ख0ह0/ दिनांक 25/3/26

मैसर्स इरकान इण्टरनेशनल लि0
हरिद्वार।

विषय - राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुबन्धित फर्म **Line Departments** की विभागीय नियम/शर्तो के अन्तर्गत कैम्प/कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु बैरागी कैम्प में स्थित दी गयी 50000 वर्ग मी0 भूमि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचनीय है कि आपको इस कार्यालय का पत्र सं0–2088/सिं0ख0ह0/अनुमति दिनांक 28.06.2025 द्वारा दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2026 तक एक वर्ष हेतु कैम्प/कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में आगामी कुम्भ मेला–2027 के आयोजन की तैयारियां गतिमान है। कुम्भ मेला के आयोजन हेतु तैयारियों के दृष्टिगत अस्थायी कार्य जैसे भू–समतलीकरण, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था आदि कार्य प्रारम्भ किये जाने हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्रातिशीघ्र बैरागी कैम्प स्थित बिना बन्दोबस्ती भूमि को खाली करना सुनिश्चित करें ताकि भूमि मेला प्रशासन को सौंपी जा सके।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

DRO Ex Eng

पत्रांक – /सिं0ख0ह0/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. मेलाधिकारी, कुम्भ मेला–2027 हरिद्वार को उनके पत्रांक–02/भूमि व्यवस्था(कु0मे0–2027)/2026–27 दिनांक 13.03.2026 के अनुपालन में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल हरिद्वार।
3. जिलाधिकारी हरिद्वार।
4. उपराजस्व अधिकारी, सिंचाई खण्ड हरिद्वार।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

6133
02/04/26

IRCON/HBL
Haridwar Bypass Project
Receipt No. 3955 (By Post)
Date: 04.04.2026